ईपीएफओ न्यूज़लेटर

अक्टूबर – दिसंबर 2025

संस्करण – 7

विषय-सूची

नवीनतम आईटी प्रगति......................(1)
निधि आपके निकट 2.0....................(3)
स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025.......(4-5)
ईपीएफओ- 73वां स्थापना दिवस 2025.........................(6-7)
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 में ईपीएफओ.....(8-9)
ज्ञानवर्धक वीडियो...(12-17)

अक्टूबर–दिसंबर 2025 में संगठन द्वारा की गई पहलें

नवीनतम आईटी प्रगति

नवीनतम आईटी प्रगति में पासबुक तक आसान पहुँच के लिए सदस्य पोर्टल पर **पासबुक लाइट की शुरुआत**, खातों के स्थानांतरण से संबंधित पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाइन एनेक्सचर-के, तथा तेज़ एवं पारदर्शी सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिए उमंग ऐप के माध्यम से फेस-ऑथेंटिकेशन (फैट) सक्षम यूएएन सक्रियण शामिल हैं ।

ईपीएफओ ने इस वर्ष अपने सुधार कार्यक्रम के तहत सदस्य अनुभव को बेहतर बनाने, प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं को सरल बनाने और अंशदाताओं की आवश्यकताओं के साथ उनकी सेवानिवृत्ति सुरक्षा को संतुलित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय सुधार सदस्यों के लिए **निकासी प्रक्रिया को पूर्णतया पुनर्गठित करना है**, जिससे उनकी बचत तक तेज़ और सरल पहुँच सुनिश्चित होती है।

अब सदस्य अपनी **"अर्हतासंपन्न शेष राशि"** का 100% तक निकाल सकते हैं, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान शामिल है। इसके लिए केवल कुछ विशेष जरूरतें मान्य होंगी। साथ ही न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता रखी गई है, ताकि फंड का कुछ हिस्सा दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति के लिए सुरक्षित रहे। यह बदलाव तुरंत पैसों की जरूरत और भविष्य की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखता है और निकासी प्रक्रिया आसान बनाता है।

भारत–यूके डीसीसी समझौता

इस समझौते के तहत **अल्पकालिक प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले कर्मचारी** 36 महीनों तक अपने देश में ही पीएफ जमा कर सकते हैं। इससे कर्मचारियों और नियोक्ताओं की लागत घटती है और भारतीय प्रतिभा अधिक प्रतिस्पर्धी बनती है।

रीवैम्पड ईसीआर

ईपीएफओ ने 26 सितंबर 2025 को **रीवैम्पड इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (ईसीआर) सिस्टम** लॉन्च किया। यह आईटी सुधार का एक बड़ा कदम है। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में इसे आसानी से लागू किया गया। **अक्टूबर 2025** में पहले महीने में ही 6,60,794 संस्थानों ने कुल ₹2,98,08,46,52,761.00 का अंशदान जमा किया। इससे पहले, **सितंबर 2025** में (सिस्टम लागू होने से पहले) 6,63,152 संस्थानों ने ₹2,95,74,12,55,183.00 का अंशदान दिया था।

पुन:संरचित उपयोगकर्ता प्रबंधन मॉड्यूल

पुन:संरचित उपयोगकर्ता प्रबंधन मॉड्यूल 11 अक्टूबर 2025 को लॉन्च किया गया था। इसमें मुख्य काम हैं: पेरेंट और चाइल्ड ऑफिस के बीच एक्टर्स/ईपीएफओ अधिकारियों को शेयर करना, ओआईसी, एडमिन और सुपर एडमिन के लिए लॉगिन बनाना, और 123 ऑफिस में ग्रुप, टास्क और यूज़र्स को माइग्रेट करना। इसके अलावा, रोल-बेस्ड मेनू को प्रोसेस-लिंक्ड स्ट्रक्चर में बदलना और प्रोसेस और नियमों का माइग्रेशन करना भी किया गया। मॉड्यूल लागू करते समय टेक्निकल और सिस्टम से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए नियमित बातचीत भी की गई।

फेस ऑथेंटिकेशन (फैट) के जरिए नए यूएएन का अनिवार्य आवंटन लागू करना

1 अगस्त से 30 नवंबर 2025 तक फैट का उपयोग करके पंजीकृत नए यूएएन की संख्या **38,36,092** है।

रीवैम्पड इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (ईसीआर) सिस्टम पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल जारी

सितंबर 2025 से लागू होने वाले **रीवैम्प्ड इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न सिस्टम (ईसीआर)** के लिए अक्सर पूछे जाने वाले सवाल तैयार कर सभी को मार्गदर्शन और जानकारी देने के लिए जारी किए गए हैं। सभी क्षेत्रीय और आंचलिक कार्यालयों से कहा गया कि वे इन्हें अपने क्षेत्र के नियोक्ता, नियोक्ता संघ और कर्मचारी संघ के बीच साझा करें और अनुपालन के प्रति जागरूकता बढ़ाएँ।

ईपीएफओ ने **कर्मचारी पेंशन योजना 1995** पेंशनभोगियों को घर बैठे डीएलसी (डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट) सेवाएँ प्रदान करने के लिए **इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक** के साथ करार ज्ञापन किया है। वे पेंशनभोगी जिनका डीएलसी समय पर देना है और जो खुद फैट(फेस ऑथेंटिकेशन टूल) का उपयोग करके स्मार्टफोन पर डीएलसी जमा नहीं कर सकते या बैंक/ईपीएफओ कार्यालय जाकर डीएलसी जमा नहीं कर सकते, वे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से यह मुफ्त डोरस्टेप डीएलसी सेवा प्राप्त कर सकते हैं।

इस सेवा के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया तैयार किया गया है और शीघ्र ही सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को ऐसे पेंशनभोगियों को मुफ्त डोरस्टेप डीएलसी सेवा उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए जाएंगे, ताकि सभी पात्र पेंशनभोगियों को समय पर उनकी मासिक पेंशन मिल सके। इसके लिए आवश्यक तकनीकी विकास और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ इंटीग्रेशन शीघ्र ही शुरू किया जाएगा।

केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली का रोलआउट

अक्टूबर 2025 में, **केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली** के तहत कुल लगभग ₹2,815 करोड़ की पेंशन वितरित की गई। इसमें ₹1,447 करोड़ बकाया राशि के रूप में और ₹1,368 करोड़ मासिक पेंशन के रूप में शामिल थे। यह वितरण लगभग 72 लाख लेनदेन के माध्यम से किया गया, जिसमें लगभग 1.38 लाख बकाया भुगतान और 70.6 लाख मासिक भुगतान शामिल थे।

नवंबर 2025 में, **केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली** के तहत कुल लगभग ₹2,468 करोड़ की पेंशन वितरित की गई। इसमें ₹1,070 करोड़ बकाया राशि के रूप में और ₹1,398 करोड़ मासिक पेंशन के रूप में शामिल थे। यह वितरण 73 लाख से अधिक लेनदेन के माध्यम से किया गया, जिसमें लगभग 2.1 लाख बकाया भुगतान और 71.5 लाख मासिक भुगतान शामिल थे।

दिसंबर 2025 में, **केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली** के तहत कुल लगभग ₹2,269 करोड़ की पेंशन वितरित की गई। इसमें ₹875 करोड़ बकाया और ₹1,394 करोड़ मासिक पेंशन शामिल थी। यह भुगतान 72 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन के ज़रिए किया गया, जिसमें लगभग 1.8 लाख बकाया पेमेंट और 70.2 लाख मासिक पेमेंट शामिल थे।

अक्टूबर – दिसंबर 2025 की गतिविधियाँ

निधि आपके निकट 2.0

निधि आपके निकट 2.0 ईपीएफओ का एक मासिक जिला आउटरीच प्रोग्राम है, जिसकी शुरुआत जनवरी 2023 में हुई थी। इस प्रोग्राम के तहत, प्रत्येक माह की **27 तारीख को** (यदि 27 को छुट्टी हो तो अगले कार्य दिवस पर) जिला कैंप लगाए जाते हैं, जिसमें सदस्यों को विभिन्न ऑन-द-स्पॉट सेवाएँ प्रदान की जाती हैं, जैसे कि ई-नामांकन फाइलिंग, केवाईसी सीडिंग, और दावा संबंधी सेवाएँ। यह कार्यक्रम सभी जिलों में ईपीएफओ की पहुँच और दृश्यता को बढ़ाता है।

क्षेत्रीय कार्यालय संगारेड्डी

क्षेत्रीय कार्यालय जालंधर

क्षेत्रीय कार्यालय केओंझर

क्षेत्रीय कार्यालय बरकतपुरा

अक्टूबर-दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित निधि आपके निकट कैंप

निधि आपके निकट 2.0	अक्टूबर 2025	नवंबर 2025	दिसंबर 2025
कैंपों की संख्या	661	653	659
प्रतिभागियों की संख्या	15,054	16,150	16,098
प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या	5,398	5,770	6,313
तुरंत निपटाई गई शिकायतें	4,977	5,240	5,804

प्रयास – सेवानिवृत्ति के दिन पीपीओ

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, **कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995** के अंतर्गत समय पर पेंशन वितरण सुनिश्चित करता है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों एवं अनाथों जैसे संवेदनशील वर्ग शामिल हैं। प्रयास पहल के तहत, ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय ई.पी.एस, 1995 के पात्र सदस्यों को उनकी सेवानिवृत्ति के दिन ही **पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ)** प्रदान कर रहे हैं। यह पहल सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा सदस्य-केंद्रित और सुगम पेंशन सेवाएं प्रदान करने के प्रति ईपीएफओ की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

क्षेत्रीय कार्यालय तांबरम

क्षेत्रीय कार्यालय निज़ामाबाद

क्षेत्रीय कार्यालय रंगारेड्डी

क्षेत्रीय कार्यालय पतनचेरु

स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने **स्वच्छता ही सेवा अभियान, 2025** का आयोजन **14.09.2025 से 01.10.2025** तक किया। हर वर्ष 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) को **स्वच्छ भारत दिवस** के रूप में मनाया जाता है। इस अभियान के अंतर्गत, क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर एक समिति का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व कार्यालय प्रभारी द्वारा किया गया। इस समिति का उद्देश्य अपने-अपने क्षेत्रीय कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों और आवासीय क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी गतिविधियों के लिए मासिक रूप से कार्ययोजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना था।

क्षेत्रीय कार्यालय पुदुचेरी

क्षेत्रीय कार्यालय राजकोट

क्षेत्रीय कार्यालय सोलापुर

क्षेत्रीय कार्यालय कांदिवली (पश्चिम)

विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2025

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के अपने प्रयासों के तहत **"हमारी साझा जिम्मेदारी"** विषय पर **18 अगस्त से 17 नवम्बर 2024** तक 3 महीने का अभियान शुरू किया। इसी जागरूकता अभियान के अंतर्गत, विजिलेंस अवेयरनेस वीक **27 अक्टूबर से 2 नवम्बर 2025** तक मनाया गया। इसका उद्देश्य कर्मचारियों और नागरिकों में ईमानदारी, पारदर्शिता और नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

ईपीएफओ ने अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया

डॉ. मांडविया ने ईपीएफओ स्थापना दिवस पर नागरिक-केंद्रित, प्रौद्योगिकी-संचालित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता बताई

"ईपीएफओ केवल एक कोष नहीं है—यह सामाजिक सुरक्षा में देश के कार्यबल के भरोसे का प्रतिनिधित्व करता है।"
-डॉ. मनसुख मांडविया

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 1 नवंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री **डॉ. मनसुख मांडविया** मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्रम एवं रोजगार सचिव **सुश्री वंदना गुरनानी**, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) श्री रमेश कृष्णमूर्ति, केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) के सदस्य, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, ईपीएफओ अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

डॉ. मनसुख मांडविया ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए देश के कार्यबल का सामाजिक और वित्तीय कल्याण सुनिश्चित करने में ईपीएफओ की ऐतिहासिक भूमिका की सराहना की। उन्होंने संगठन से आग्रह किया कि वह नए उद्देश्य और दूरदर्शिता के साथ "नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण में एक नया अध्याय लिखे।"

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "ईपीएफओ केवल एक कोष नहीं है—यह सामाजिक सुरक्षा में देश के कार्यबल के भरोसे का प्रतिनिधित्व करता है। इस स्थापना दिवस के अवसर पर, यह सभी अधिकारियों को नई प्रेरणा और ऊर्जा प्रदान करेगा और आने वाले वर्षों के लिए एक विज़न तैयार करने के लिए प्रेरित करेगा। यह विज़न ईपीएफओ की संकल्प से सिद्धि की यात्रा का मार्गदर्शन करेगा।"

डॉ. मांडविया ने ज़ोर देकर कहा कि दक्षता, पारदर्शिता और सहानुभूति ईपीएफओ के परिवर्तन की प्रेरक शक्तियां बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा, "हर सुधार स्पष्ट और सरल शब्दों में कर्मचारियों तक पहुंचना चाहिए ताकि बदलाव का असर उनके जीवन में सीधे महसूस हो।" अधिकारियों से व्यावसायिक दक्षता और करुणा के माध्यम से विश्वास बनाए रखने का आह्वान करते हुए, उन्होंने कहा, "ईपीएफओ को सेवा वितरण में निष्पक्षता, गति और संवेदनशीलता सुनिश्चित करके नागरिकों का विश्वास मज़बूत करना जारी रखना चाहिए। आइए, हम विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ते हुए सामाजिक सुरक्षा में वैश्विक मानक स्थापित करें।"

अपने संबोधन में, सचिव (श्रम एवं रोजगार) सुश्री वंदना गुरनानी जी ने ईपीएफओ के एक अनुपालन-आधारित निकाय से एक नागरिक-केंद्रित संस्था के रूप में विकसित होने की सराहना की। उन्होंने कहा, "हर फ़ाइल के पीछे एक समर्पित कर्मचारी, एक परिवार और एक सपना छिपा होता है। प्रत्येक कर्मचारी के साथ पूर्ण सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा केवल व्यवस्थाओं से संबंधित नहीं है, बल्कि लोगों से संबंधित है।"

उन्होंने **प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई)** के क्रियान्वयन में ईपीएफओ की केंद्रीय भूमिका को सराहा जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को की थी। उन्होंने कहा, "इस दूरदर्शी कार्यक्रम का उद्देश्य 3.5 करोड़ नए रोजगारों को प्रोत्साहित करना और सभी क्षेत्रों में औपचारिक रोजगार का विस्तार करना है।

इस पहल में ईपीएफओ का नेतृत्व, इसकी संस्थागत शक्ति में सरकार के विश्वास को दर्शाता है।" उन्होंने यह भी कहा कि ईपीएफओ को सामाजिक सुरक्षा से राष्ट्रीय समृद्धि की ओर अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए और "एक आत्मविश्वासी, संवेदनशील और विकासशील भारत का एक मज़बूत स्तंभ" बनना चाहिए।

केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री रमेश कृष्णमूर्ति ने दक्षता, पारदर्शिता और सुधार के प्रति ईपीएफओ की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने कहा, "केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली, आधार और चेहरा प्रमाणीकरण, और रीवैम्पड ईसीआर प्रणाली जैसी पहलों के माध्यम से ईपीएफओ ने निर्बाध और तकनीक-संचालित सेवा वितरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है।"

श्री कृष्णमूर्ति ने बताया कि आगामी ईपीएफओ 3.0 प्लेटफॉर्म कार्यकुशलता और सुगमता को और बेहतर बनाएगा। साथ ही सरलीकृत निकासी श्रेणियों और विश्वास योजना जैसी नई पहलों ने नियोक्ताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाया है। उन्होंने यह भी कहा, "हमारा ध्यान विश्वास को मज़बूत करने, ईपीएफओ सदस्यता का विस्तार करने और यह सुनिश्चित करने पर है कि प्रत्येक कर्मचारी ईपीएफओ की प्रगति में एक भागीदार के रूप में अनुभव करे।"

इस अवसर पर, डॉ. मांडविया ने कर्मचारी पंजीकरण अभियान 2025 का शुभारम्भ किया, जिसका उद्देश्य नियोक्ताओं को पात्र कर्मचारियों की स्वेच्छा से घोषणा और पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। 1 नवंबर 2025 से लागू होने वाली इस योजना के तहत, यदि पहले कटौती नहीं की गई है, तो नियोक्ताओं को कर्मचारी के हिस्से का अंशदान वापस करने की आवश्यकता नहीं होगी और केवल 100 रूपये का नाममात्र दंडात्मक हर्जाना लागू होगा। इस योजना का उद्देश्य कार्यबल के औपचारिकीकरण और व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना है।

डॉ. मांडविया ने कार्यक्रम के दौरान, ईपीएफओ की यात्रा और उपलब्धियों पर आधारित एक “कॉफी टेबल बुक”, "स्टेट प्रोफाइल 2025" और "रीइमेजिनिंग गवर्नेंस" का भी विमोचन किया। इस अवसर पर एक विशेष डाक कवर का भी अनावरण किया गया।

ईपीएफओ @ आईआईटीएफ 2025

डॉ. मनसुख मांडविया ने आईआईटीएफ 2025 में ईपीएफओ के पहले आधुनिक डिजिटल पवेलियन का उद्घाटन किया

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) 2025 में पहली बार अपने अत्याधुनिक पवेलियन का आयोजन किया। इस पवेलियन का औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री रमेश कृष्णमूर्ति और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रमुख हितधारकों की उपस्थिति में किया।

डॉ. मनसुख मांडविया ने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) 2025 में ईपीएफओ पवेलियन का उद्घाटन करते हुए असीम प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आईआईटीएफ ने हमेशा भारत की विकास यात्रा को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया है और इस वर्ष, ईपीएफओ ने आईआईटीएफ में अपनी शुरुआत की है। यह एक नई और आधुनिक पहचान प्रस्तुत करता है, जो पारदर्शिता, दक्षता और व्यापक सेवा वितरण का प्रतीक है। डॉ. मांडविया ने भारत के सामाजिक सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ बनाने में ईपीएफओ की निरंतर प्रगति की सराहना की और कार्यबल के लिए वित्तीय सम्मान सुनिश्चित करने में संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दिया।

उन्होंने रेखांकित किया कि ईपीएफओ लंबे समय से देश भर के करोड़ों कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा के एक स्तंभ के रूप में कार्य करता रहा है। पिछले कुछ वर्षों में, संगठन ने मैन्युअल प्रक्रियाओं से सहज डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में बदलाव किया है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि भविष्य निधि सेवाएं हर कर्मचारी - औपचारिक या गिग, शहरी या ग्रामीण - तक समान गति और मर्यादा के साथ पहुंचें।

डॉ. मांडविया ने कहा कि पिछले वर्ष ईपीएफओ ने अपने डिजिटल इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं। उन्नत एकीकृत पोर्टल, ईपीएफओ वेबसाइट का नवीनीकरण, सरलीकृत दावा प्रक्रिया, वास्तविक समय में शिकायत निवारण, कागज रहित ऑनबोर्डिंग और डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के माध्यम से पेंशनभोगियों के लिए घर-घर सहायता ने सामूहिक रूप से नागरिक अनुभव को बेहतर बनाया है।

सुश्री शोभा करांदलाजे ने भी इस पहल के लिए ईपीएफओ को शुभकामनाएं दीं और संगठन से आग्रह किया कि वह आगंतुकों को तत्क्षण सेवाएं और जानकारी प्रदान करने में मदद करे।

ईपीएफओ पवेलियन भविष्य के लिए तैयार, नागरिक-केंद्रित डिजिटल अनुभव प्रदर्शित करता है जो भारत सरकार के 'जीवन को सुगम बनाने' और 'सभी के लिए डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं' के विजन के अनुरूप है। आगंतुक पेंशन सुविधा जोन, नियोक्ता हेल्पडेस्क, ई-सेवा प्रदर्शन और ईपीएफ, ईपीएस, ईडीएलआई, पीएम-वीबीआरवाई और नव घोषित कर्मचारी पंजीकरण अभियान 2025 जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

डॉ. मांडविया ने कहा कि यह पवेलियन केवल सेवाओं का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ईपीएफओ की "भविष्य के लिए तैयार, सदस्य-केंद्रित और प्रौद्योगिकी-संचालित" बनने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह पवेलियन दर्शाता है कि कैसे डिजिटल सार्वजनिक सेवाएं व्यक्तियों को सशक्त बना सकती हैं, उद्यमों को सहयोग दे सकती हैं और नागरिकों व संस्थानों के बीच विश्वास को मज़बूत कर सकती हैं।

उन्होंने आगंतुकों, नियोक्ताओं और युवा नागरिकों को इस पवेलियन का अवलोकन करने, इसकी प्रस्तुतियों से जुड़ने और सामाजिक सुरक्षा के महत्व को समझने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने ईपीएफओ टीम को एक सूचनात्मक, संवादमूलक और दूरदर्शी पवेलियन बनाने के लिए बधाई भी दी, जो सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप है।

प्रत्येक डेस्क पर ईपीएफओ के विशेषज्ञ विद्यमान हैं जो सेवाओं तक सीधी पहुंच प्रदान करते हैं। आगंतुक पवेलियन में अपने दावे, जॉइंट डिक्लेरेशन, यूएएन जनरेट कर सकते हैं और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। ईपीएफओ पवेलियन आगंतुकों के लिए एक संवादमूलक और आकर्षक अनुभव प्रदान करता है। टच-स्क्रीन कियोस्क उपयोगकर्ताओं को प्रक्रिया-शिक्षण वीडियो का अवलोकन करने, प्रमुख प्रकाशनों का अध्ययन करने और एक सूचनात्मक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से ईपीएफओ की सेवाओं को समझने में सक्षम बनाते हैं। जागरूकता बढ़ाने के लिए बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन पर लगातार शैक्षिक सामग्री दिखाई जाती है।

सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए इस अनुभव को आनंददायक बनाने के लिए, पवेलियन में बच्चों के लिए खेल क्षेत्र, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो और एक सेल्फी बूथ की सुविधा है। आगंतुक सोशल मीडिया सेल्फी कार्यकलापों में, जबकि बच्चे चित्रकला प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इन कार्यकलापों में प्रतिभागियों के लिए रोमांचक सरप्राइज उपहार उपलब्ध हैं, जो पवेलियन को जानकारीपूर्ण और मनोरंजक बनाते हैं।

केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की 238वीं बैठक

कर्मचारी भविष्य निधि के **केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की 238वीं बैठक**, 13 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री **डॉ. मनसुख मांडविया** की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में सदस्यों तक पहुँच की सुविधा बढ़ाने, मुकदमेबाजी को कम करने तथा डिजिटल परिवर्तन को तेज करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण सुधारों को स्वीकृति दी गई।

मुख्य निर्णयों में **ईपीएफ की आंशिक निकासी** के नियमों का सरलीकरण एवं उदारीकरण शामिल है, जिसके अंतर्गत 13 प्रावधानों को मिलाकर तीन व्यापक श्रेणियों में समाहित किया गया। इसके अतिरिक्त, आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि को घटाकर 12 माह किया गया, शिक्षा एवं विवाह के लिए निकासी की आवृत्ति बढ़ाई गई, विशेष परिस्थितियों में दस्तावेज़ एवं कारण प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त की गई तथा सेवानिवृत्ति बचत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए योगदान की न्यूनतम 25% राशि को शेष राशि के रूप में सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया।

बोर्ड ने मुकदमेबाजी को कम करने के उद्देश्य से दंडात्मक क्षतिपूर्ति को युक्तिसंगत बनाते हुए क्रमबद्ध एवं कम दरों के साथ **"विश्वास योजना"** की शुरुआत की। इसके साथ ही, ईपीएस पेंशनभोगियों को ₹50 प्रति प्रमाणपत्र की दर से डोरस्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सेवा उपलब्ध कराने हेतु इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ करार ज्ञापन को स्वीकृति दी गई तथा त्वरित, स्वचालित और बहुभाषी सेवाओं के लिए एक व्यापक **ईपीएफओ 3.0 डिजिटल परिवर्तन** को भी अनुमोदन प्रदान किया गया।

इसके अतिरिक्त, सीबीटी ने ईपीएफओ के ऋण पोर्टफोलियो के लिए चार फंड प्रबंधकों के चयन को मंजूरी दी और साइट्स के अंतर्गत पुनर्रचित रिटर्न फाइलिंग एवं उपयोगकर्ता प्रबंधन मॉड्यूल, ई-ऑफिस 7, तथा ऑनलाइन **वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट** प्रबंधन हेतु **स्मार्ट प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट लेखन ऑनलाइन प्रणाली** सहित कई डिजिटल पहलों की शुरुआत की।

बोर्ड ने सामाजिक सुरक्षा के विस्तार एवं सुधारों में हुई प्रगति की समीक्षा की। इसमें बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हेतु **प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना** के कार्यान्वयन, भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज को मिली वैश्विक मान्यता, अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ के ब्यूरो में ईपीएफओ की सदस्यता, भारत–यूके दोहरा अंशदान समझौता, कई नई डिजिटल सेवाओं की शुरुआत, 8.25% की दर से ब्याज का अग्रिम श्रेय, तथा देशभर में ईपीएफओ के बुनियादी ढांचे के विस्तार जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल रहे।

केंद्रीय न्यासी बोर्ड (ईपीएफ) की कार्यकारी समिति की 115वीं बैठक

कार्यकारी समिति, सीबीटी (ईपीएफ) की 115वीं बैठक, 19 दिसंबर 2025 को श्रम शक्ति भवन में आयोजित की गई, जिसकी **अध्यक्षता श्रीमती वंदना गुर्नानी, सचिव (श्रम और रोजगार**) जी ने की। बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया गया। इसमें यूनिफाइड पोर्टल **(यूएएन 2.0**) के रखरखाव के लिए सी-डैक के अनुबंध का नवीनीकरण और अतिरिक्त आवश्यक एप्लिकेशन डेवलपमेंट्स का एकीकरण शामिल था। इसके अलावा, साइट्स 2.01 के कार्यान्वयन में हुई प्रगति, **सहायक भविष्य निधि आयुक्त** (एपीएफसी) पदों का पुनर्वितरण, और निवेश विभाग में डोमेन विशेषज्ञों को निवेश सलाहकार के रूप में संलग्न करने की सुविधा के लिए नीति संशोधन का प्रस्ताव भी चर्चा में रखा गया।

समीक्षा बैठक

माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने 16.12.2025 को शाम 6:30 बजे से अपने निवास, नई दिल्ली में **प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई)** और **कर्मचारी पंजीकरण अभियान (ईईसी)** की समीक्षा बैठक की। इसके बाद, 30.12.2025 को ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली में एक और समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मंत्री जी को 16.12.2025 के बाद से दोनों योजनाओं में हुई प्रगति की जानकारी दी गई।

बैठक के दौरान, छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों , साइट्स, ईपीएफओ 3.0, निष्क्रिय खातों का आयु-वार विश्लेषण, क्षेत्रीय कार्यालय, वज़ीरपुर में पायलट आधार पर संचालित **पीएफ सेवा केंद्र**, विवाद कम करने के उद्देश्य से **विश्वास योजना** और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए वित्त विभाग द्वारा उठाए गए पहल से संबंधित प्रस्तुतियाँ भी दी गईं।

माननीय मंत्री जी ने **प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना** के अंतर्गत नामांकन में प्राप्त प्रगति की सराहना की और उठाई गई पहलों, विशेषकर क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली उत्तर में पीएफ सेवा केंद्र को प्रशंसा का पात्र बताया। माननीय मंत्री ने इसके अलावा ईपीएफओ द्वारा किए जा रहे सुधारों की गति, गहराई और व्यापकता को भी स्वीकार किया।

ज्ञानवर्धक वीडियो

1. प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ईपीएफओ पॉडकास्ट: पूरी जानकारी

सीएनबीसी पर **केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति** जी के साथ इस विशेष साक्षात्कार में **प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना** के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। यह एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में रोजगार सृजन करना तथा कर्मचारियों और नियोक्ताओं—दोनों को समर्थन प्रदान करना है।

https://www.youtube.com/watchv=syKc4uu7IWc

यह वीडियो देखने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें:

2.यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से बैंक खाता कैसे लिंक करें

इस वीडियो में, हम यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के साथ बैंक खाता जोड़ने की स्टेप-बाय-स्टेप गाइड प्रदान करते हैं, इसकी महत्वता समझाते हैं, और सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से आपको बिना परेशानी के ई.पी.एफ लेनदेन सुनिश्चित करने का तरीका बताते हैं।

यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के साथ बैंक खाता लिंक करने (की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानने के लिए, इस लिंक पर जाएँ:

https://www.youtube.com/watch?v=-SeoT3kCtys

यह वीडियो देखने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें:

3.प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की पूरी जानकारी | पात्रता, लाभ और पंजीकरण प्रक्रिया

इस जानकारीपूर्ण वीडियो में,आप प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में सब कुछ जानेंगे। यह योजना नियोक्ताओं को नए रोजगार सृजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है और नए कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों को सुनिश्चित करती है।

प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में अधिक जानने के लिए इस लिंक पर जाएँ:

https://www.youtube.com/watchv=TLQahzzORA4

यह वीडियो देखने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें:

4. ईपीएफओ 2025: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम.वी.बी.आर.वाई) के तहत कर्मचारियों के लिए लाभ

इस वीडियो में, आप प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के **भाग ए के तहत कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों** के बारे में जानेंगे। यह योजना भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख रोजगार सृजन योजना है।

प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों के बारे में अधिक जानने के लिए इस लिंक पर जाएँ:

https://www.youtube.com/watch?v=EO-oUZep1Bg

यह वीडियो देखने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें:

5. ईपीएफ अधिनियम के अंतर्गत नियोक्ता की जिम्मेदारियाँ

इस वीडियो में, ईपीएफ अधिनियम के अंतर्गत नियोक्ताओं की प्रमुख जिम्मेदारियों के बारे में जानें। नियोक्ता यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि सभी पात्र कर्मचारियों का ईपीएफ खाता हो, योगदान समय पर जमा किया जाए, और कर्मचारियों को विभिन्न ईपीएफ योजनाओं व उनके लाभों की पूरी जानकारी दी जाए।

ईपीएफ अधिनियम के अंतर्गत हर नियोक्ता को जो आवश्यक कर्तव्य और अनुपालन आवश्यकताएँ पूरी करनी होती हैं, उन्हें समझने के लिए इस लिंक पर जाएँ:

https://www.youtube.com/watchv=9n1IqrDI4Xw

यह वीडियो देखने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें:

6. ईपीएफ कर्मचारी की जिम्मेदारियां समझें : केवाईसी अपडेट, पीएफ योगदान वेरिफिकेशन और क्लेम प्रोसेस

इस वीडियो में, ईपीएफ अधिनियम के तहत कर्मचारियों की मुख्य ज़िम्मेदारियों को समझें, जिसमें केवाईसी और पर्सनल डिटेल्स अपडेट करना, हर महीने पीएफ कंट्रीब्यूशन वेरिफाई करना, और यह पक्का करना कि बैंक की जानकारी सही हो, शामिल है।इन जिम्मेदारियों का पालन करने से सदस्यों को सहज अनुपालन, तेज़ क्लेम प्रक्रिया और भविष्य के लिए सुरक्षित सेवानिवृत्ति लाभ सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

केवाईसी और अन्य पर्सनल डिटेल्स कैसे अपडेट करें, इसके बारे में अधिक जानने के लिए इस लिंक पर जाएँ:

https://www.youtube.com/watchv=XR9lZ68SLyU

यह वीडियो देखने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें:

7. सतर्कता जागरूकता: पारदर्शिता और ईमानदारी के प्रति ईपीएफओ की प्रतिबद्धता

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन हर स्तर पर पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस सतर्कता जागरूकता संदेश के माध्यम से, हम पूरे भारत में करोड़ों श्रमिकों को सुरक्षित और भ्रष्टाचार-मुक्त सेवाएँ प्रदान करने के अपने मिशन की पुनः पुष्टि करते हैं।

इस अभियान के बारे में अधिक जानने के लिए इस लिंक पर जाएँ:

https://www.youtube.com/watchv=qp0IdvMgd2g

यह वीडियो देखने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें:

8. 73 वर्षों की सेवा: सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा के प्रति ईपीएफओ की प्रतिबद्धता

इस वीडियो में, हम आपको पिछले एक साल में ईपीएफओ की शानदार यात्रा और मुख्य उपलब्धियों के बारे में बताएंगे, जो सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और भारत के श्रमिकों को सशक्त बनाने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

ईपीएफओ के 73 वर्षों की शानदार सेवा के बारे में और जानने के लिए, इस लिंक पर जाएं:

https://www.youtube.com/watchv=FWQjW7LXk4Q

यह वीडियो देखने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें:

9. भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 में ईपीएफओ के पवेलियन का उद्घाटन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पहली बार नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) 2025 में अपने अत्याधुनिक पवेलियन का आयोजन किया। इस पवेलियन का औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री रमेश कृष्णमूर्ति और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रमुख हितधारकों की उपस्थिति में किया।

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) 2025 में ईपीएफओ के पवेलियन के बारे में अधिक जानने के लिए, इस लिंक पर जाएँ:

https://www.youtube.com/watchv=cz2-ynrLSrk

यह वीडियो देखने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें:

10. फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग करके जीवन प्रमाण पत्र कैसे सबमिट करें

इस छोटे वीडियो में, आप सीखेंगे कि कैसे घर बैठे फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करें। ईपीएस पेंशनभोगी अब ईपीएफओ कार्यालय या बैंक जाए बिना अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर सकते हैं।जीवन प्रमाण पत्र पिछली सबमिशन की तारीख से एक वर्ष तक मान्य होता है, इसलिए पेंशनभोगियों को पेंशन लाभ जारी रखने के लिए इसे हर साल इसकी समाप्ति से पहले सबमिट करना चाहिए।

जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानने के लिए इस लिंक पर जाएँ:

https://www.youtube.com/watchv=ZqG5K_0yca0

यह वीडियो देखने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें:

11. यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) को आसानी से जेनरेट, एक्टिवेट और ऑथेंटिकेट कैसे करें

इस जानकारीपूर्ण वीडियो में, आप सीखेंगे कि अपने **यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन)** को आसानी से जेनरेट, एक्टिवेट और ऑथेंटिकेट कैसे करें। यह स्टेप-बाय-स्टेप गाइड ईपीएफ सदस्यों को डिजिटल प्रक्रिया को सहजता से नेविगेट करने और ऑनलाइन ईपीएफओ की विभिन्न सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करने में मदद करता है।

यूएएन जेनरेट, ऑथेंटिकेट और एक्टिवेट करने की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानने के लिए इस लिंक पर जाएँ:

https://www.youtube.com/watch?v=vw3k-w_3g1I

यह वीडियो देखने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें:

12. आत्मनिर्भर भारत हेतु श्रम सुधार

आत्मनिर्भर भारत के लिए नए **श्रम सुधारों** के साथ—सभी के लिए समय पर न्यूनतम वेतन, युवाओं को नियुक्ति पत्र, सुरक्षित रोजगार, महिलाओं के लिए समान वेतन, एक वर्ष बाद निश्चित अवधि के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, तथा 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच—भविष्य सशक्त और सुरक्षित बन रहा है।

नए श्रम सुधारों के बारे में अधिक जानने के लिए इस लिंक पर जाएँ:

https://www.youtube.com/watch?v=hSiFldYPFDw

यह वीडियो देखने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें:

13. ईपीएफ बैलेंस कैसे चेक करें और पीएफ पासबुक कैसे देखें

इस वीडियो में जानिए कि सभी आधिकारिक तरीकों का उपयोग करके ऑनलाइन अपना ईपीएफ बैलेंस कैसे चेक करें और अपनी पीएफ पासबुक कैसे देखें।

ईपीएफ बैलेंस और पासबुक ऑनलाइन चेक करने के सभी तरीकों को जानने के लिए इस लिंक पर जाएँ:

https://www.youtube.com/watchv=JUVEOhzhgNs

यह वीडियो देखने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें:

14. कर्मचारी पंजीकरण अभियान (ईईएस) की पूरी जानकारी: उद्देश्य, पात्रता एवं नामांकन प्रक्रिया

इस जानकारीपूर्ण वीडियो में आप **कर्मचारी पंजीकरण अभियान** (ईईएस) की पूरी समझ प्राप्त करेंगे, जिसमें इसके उद्देश्य, पात्रता तथा ईपीएफओ के अंतर्गत पूरी पंजीकरण प्रक्रिया शामिल है। यह नियोक्ताओं के लिए पिछले अनुपालन को नियमित करने हेतु 6 माह की एक विशेष अवधि है **(1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक)**। सभी प्रतिष्ठानों के नियोक्ता **1.07.2017 से 31.10.2025** के बीच उनके यहाँ कार्यरत रहे लेकिन छूट गए कर्मचारियों की घोषणा ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं।

कर्मचारी पंजीकरण अभियान के प्रमुख लाभों के बारे में अधिक जानने के लिए इस लिंक पर जाएँ:

https://www.youtube.com/watchv=AEzk35bhPRg

यह वीडियो देखने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें:

15. नए ईसीआर के साथ ईपीएफ रिटर्न फाइल करना अब और भी आसान और स्मार्ट

इस जानकारीपूर्ण वीडियो में आप **रिवैम्प्ड ईसीआर** के बारे में पूरी समझ प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि यह नियोक्ताओं के लिए अनुपालन प्रक्रिया को कितना सरल बनाता है। यह रिटर्न फाइल करने का सरल, स्मार्ट और अधिक भरोसेमंद तरीका है।

रिवैम्प्ड ईसीआर के बारे में अधिक जानने के लिए इस लिंक पर जाएँ:

https://www.youtube.com/watchv=vc6Zh794w-I

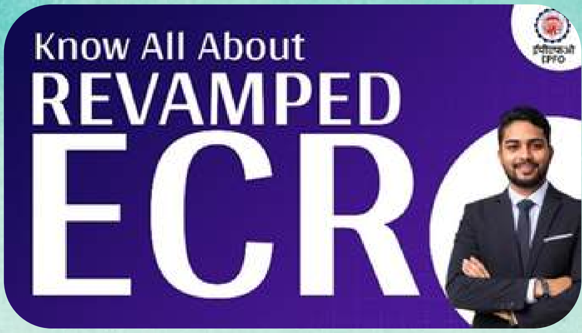

यह वीडियो देखने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें:

16. प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत अपने प्रतिष्ठान को कैसे पंजीकृत करें

इस जानकारीपूर्ण वीडियो में आप **प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना** के तहत पंजीकरण करने की प्रक्रिया को स्पष्ट और चरणबद्ध तरीके से सीखेंगे। यह गाइड नियोक्ताओं, एचआर पेशेवरों, प्रतिष्ठानों और उन सभी के लिए उपयोगी है जो इस योजना और इसके लाभों को समझना चाहते हैं।

प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत अपने प्रतिष्ठान को पंजीकृत करने की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पर जाएँ:

https://www.youtube.com/watchv=w0wP4Aiw3IA

यह वीडियो देखने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें:

17. सदस्यों, नियोक्ताओं और पेंशनभोगियों के लिए नई ईपीएफओ वेबसाइट की पूरी जानकारी

इस वीडियो में, आप **कर्मचारी भविष्य निधि संगठन** की **नवनिर्मित वेबसाइट** का गाइडेड टूर करेंगे, जिसे सभी के लिए एक सरल, तेज़ और उपयोगकर्ता-अनुकूल अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

ईपीएफओ की नई वेबसाइट के बारे में अधिक जानने के लिए, इस लिंक पर जाएँ:

https://www.youtube.com/watchv=UUO1sH-i-HQ

यह वीडियो देखने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें:

लाइव सत्र

ईपीएफओ ने नई शुरू की गई **कर्मचारी पंजीकरण अभियान** पर **11 नवंबर 2025** को दोपहर 12:00 बजे एक इंटरएक्टिव लाइव सत्र आयोजित किया। यह सत्र ईपीएफओ के यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनलों पर लाइव स्ट्रीम किया गया। सत्र में नियोक्ता, कर्मचारी और आम जनता ने सक्रिय भागीदारी दिखाई और विभिन्न प्रश्न पूछे, जिन्हें विशेषज्ञों द्वारा वास्तविक समय में उत्तर दिया गया।

भारत के सामाजिक सुरक्षा ढांचे का एक महत्वपूर्ण स्तंभ, **कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस)** को समझने के लिए एक लाइव सत्र **9 दिसंबर 2025** को यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आयोजित किया गया। इस सत्र ने ईपीएस के विभिन्न प्रावधानों और उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग को समझने में मदद की।

ईपीएफओ से जुड़ी खबरें : अक्टूबर से दिसंबर 2025

'ईपीएफओ कार्यालय बनेंगे सिंगल-विंडो सेवा केंद्र'

अहमदाबाद, एजेंसी: केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कामकाज में बड़े बदलावों का एलान किया है। अब देश के सभी ईपीएफओ कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर सिंगल-विंडो सेवा केंद्र में बदला जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पीएफ खाताधारक देश के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकेंगे। अब उन्हें उस खास कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे, जहां उनका पीएफ खाता रजिस्टर्ड है।

उन्होंने बताया कि दिल्ली में एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है और आगे चलकर लाभार्थी अपनी समस्याओं का समाधान

कर्मचारी किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय में अपनी ईपीएफ संबंधी समस्या का करा सकेंगे समाधान

किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय में करवा सकेंगे, जिससे उन्हें पहले से जुड़े किसी विशिष्ट कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि श्रमिकों की निष्क्रिय खातों में फंसी राशि के लिए मिशन-मोड में केवाईसी सत्यापन कराया जाएगा और सही दावेदार को बिना किसी परेशानी के भुगतान किया जाएगा। इसके लिए एक डिजिटल प्लेटफार्म लांच किया जाएगा ताकि दावों को सरल तरीके से दाखिल किया जा सके। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि आगे चलकर, भारत के मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) में सामाजिक सुरक्षा संरक्षण प्रविधान शामिल किए जाएंगे ताकि विदेशों में कार्यरत भारतीय श्रमिक भारत लौटने के बाद भी अपने पीएफ योगदान को बनाए रख सकें और लाभ प्राप्त कर सकें जैसा कि भारत-ब्रिटेन एफटीए के मामले में देखा गया है। उन्होंने कहा कि ईपीएफओ के पास आज 28 लाख करोड़ रुपये का कोष है और यह 8.25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्रदान करता है।

हाई पेंशन आवेदनों में से 99 फीसदी का निपटारा हुआ

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) 1995 के तहत हाई पेंशन पाने के लिए ज्यादा अंशदान की मांग करने वाले लगभग 99% आवेदनों का निपटारा कर दिया है। सोमवार को संसद में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि ईपीएफओ ने 4 नवंबर, 2022 को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में जारी निर्देशों को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए कार्रवाई की है। उनके अनुसार, कुल 4,27,308 मांग पत्र जारी किए गए, जिनमें से 34,060 मामले मुख्य रूप से राशि न भेजने के कारण अयोग्य पाए गए। लगभग 2,33,303 आवेदकों ने राशि/सहमति जमा कर दी है, जिनमें से 96,274 सेवा में बने हुए हैं और 1,37,029 रिटायर हो चुके हैं। इनमें से करीब1,24,457 आवेदकों को पीपीओ (पेंशन भुगतान आदेश) जारी किए जा चुके हैं।

नौकरी करते हुए ईपीएफओ से छूटे कर्मियों को भी मिलेगा पूरा लाभ

राहत

■ सुहेल खान

कानपुर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पंजीकृत संस्थानों में काम करने के बावजूद पीएफ योजनाओं से वंचित कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत दी है। ... एक जुलाई 2017 से 31 अक्तूबर 2025 के बीच ... एक नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक कर्मचारी नामांकन अभियान (ईईसी 2025) चलाएगा।

- यूपी में ईपीएफओ में पंजीकृत संस्थान : 2,50,341
- यूपी में ईपीएफ के दायरे में कर्मचारी : 40,20,617
- कानपुर रीजन के पंजीकृत संस्थान : 25 हजार
- कानपुर समेत 13 जिलों में कर्मचारी : 332906

कर्मचारियों का अंशदान होगा माफ

- आठ साल पुराने कर्मचारियों को बिना अंशदान जमा किए ईपीएफओ करेगा नामांकित
- एक जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच नौकरी करने वालों को फायदा
- सिर्फ नियोक्ता का अंशदान ही मान्य, कर्मचारियों का पीएफ अंशदान होगा माफ
- ईईसी योजना में छूटे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा की सभी योजनाओं का लाभ

छह महीने तक कल से चलेगा अभियान

नए कर्मियों को विकसित भारत रोजगार योजना का भी लाभ

"उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में ईईसी अभियान एक नवंबर से शुरू हो रहा है। कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के साथ नियोक्ताओं के लिए भी बहुत अच्छी योजना है। नए कर्मचारियों को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का लाभ भी मिलेगा। योजना से नई नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे।"

– उदय बरनी

ईपीएफओ ने छूटे हुए कर्मचारियों को जोड़ने के लिए छह माह का समय दिया

एजेंसियां, नयी दिल्ली

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने गुरुवार को नियोक्ताओं (कंपनियों) से कहा है कि वह अपने उन कर्मचारियों को पीएफ में शामिल कर सकते हैं जिन्हें पहले इसमें नहीं जोड़ा गया था. ईपीएफओ ने यह मौका 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच छूटे कर्मचारियों के लिए दिया है. ईपीएफओ ने इस योजना का नाम कर्मचारी नामांकन योजना यानी एंप्लाइज एनरोलमेंट स्कीम (इएस)-2025 रखा है. यह एक बार मिलने वाली विशेष योजना है, जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को पीएफ की सुविधा देना और पहले हुई गलतियों को आसानी से ठीक करना है. इस योजना के तहत नवंबर 2025 से छह महीने तक का समय दिया जायेगा. जो संस्थान या कंपनी अभी तक ईपीएफ कानून के तहत पंजीकृत नहीं हैं, वे भी इस योजना के जरिये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और कर्मियों को पीएफ में जोड़ सकते हैं.

मंडाविया ने ईपीएफओ के डिजिटल मंडप का उद्घाटन किया

नई दिल्ली, (हि.स)। भारत मंडपम में चल रहे अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने ईपीएफओ के पहले आधुनिक डिजिटल मंडप का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह मंडप केवल सेवाओं का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ईपीएफओ की भविष्य के लिए तैयार, सदस्य-केंद्रित और प्रौद्योगिकी-संचालित बनने की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन है।

ईपीएफओ के इस मंडप का औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रमुख हितधारकों की उपस्थिति में किया।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक II, ईस्ट किदवई नगर,
नई दिल्ली-110023